रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 13 नवम्बर, 1982/22 कार्तिक, 1904

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 23 अक्तूबर, 1982

संख्या: एफ०डी०एस०ए०(3) 2/77-II.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी०एस०आर० 800 दिनांक 9 जून, 1978 के अध्ययन सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अधिसूचना सं० 11-14/70-कोप (खाद्य एवं आपूर्ति), दिनांक 26 जुलाई, 1971 द्वारा जारी किए गए हिमाचल प्रदेश नमक (वितरण और मूल्य) नियन्त्रण आदेश, 1971 को तुरन्त विखण्डित करने का सहर्ष आदेश देते हैं:—

परन्तु हिमाचल प्रदेश नमक (वितरण और मूल्य) नियन्त्रण आदेश, 1971 के निरसन से—

(1) इस प्रकार निरसित किए गए आदेश के किसी भी उपबन्ध के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन की गई या सहन की गई किसी बात; या

(2) निरसित किए गए आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या उत्तरदायित्व पर; या

(3) निरसित किए गए आदेश के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में किए गए किसी अपराध के उपगत किसी शक्ति, समपहरण या दण्ड को; या

2083-राजपत्र-13-11-82—1,249. (1087) मूल्य : 20 पैसे ।

(4) उपर्युक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, उत्तरदायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार साशित किया, जारी रखा या प्रवर्तित रखा जा सकता है और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानों कि उक्त आदेश का निरसन नहीं किया गया हो।

Simla-2, the 23rd October, 1982

No. FDS. A(3)-2/77-II.—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) G.S.R. 800, dated the 9th June, 1978, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to rescind the Himachal Pradesh Salt (Distribution and Price) Control Order, 1971, issued *vide* notification No. 11-14/70-Co-op (F&S), dated the 26th July, 1971 with immediate effect:—

Provided that the repeal of the H.P. Salt (Distribution and Price) Control Order, 1971 shall not:—

(*i*) affect the previous operation of any provisions of the order so repealed or anything done or suffered thereunder; or

(*ii*) affect any right, privilage, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed order; or

(*iii*) affect any penalty forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed in contravention of any provisions contained in the repealed order; or

(*iv*) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilage, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the aforesaid order has not been repealed.

शिमला-171002, 23 अक्तूबर, 1982

संख्या: एफ0डी0एस0ए0(3)-15/80.—भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. सं0 800, दिनांक 9 जून, 1978 के अध्ययन सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 10) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में दिनांक 23 मई, 1981 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1981 में और संशोधन करते हुए सहर्ष निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह आदेश हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) आदेश, 1982 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. **खण्ड 2 में संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश, 1981 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त" आदेश कहा गया है)—

(1) पैरा ढ के पश्चात् प्रकट होने वाले शब्द "और" का लोप किया जाए और शब्द "और" को पैरा (ण) के पश्चात् लगे चिन्ह ";" अन्तः स्थापित किया जाए; और

(2) इस प्रकार संशोधन पैरा (ण) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा (त) अन्तः स्थापित किया जावे; अर्थात:—

"(त) 'आयोडाईज़ नमक' से ऐसा नमक अभिप्रेत है जो मानव के उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है और जिसमें आयोडीन की इतनी मात्रा मिश्रित हो जितनी भारत सरकार के नमक आयुक्त द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की गई हो।"

3. **खण्ड 11 में संशोधन.**—उक्त आदेश के खण्ड 11 उप-खण्ड (1) में शब्द "निलम्बित" और "द्वारा" के मध्य "एक या अधिक व्यापारिक वस्तुओं के सम्बन्ध में" शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाए।

4. **अनसूची-1 में संशोधन.**—उक्त आदेश की अनसूची-1 के भाग "ङ" (अन्य वस्तुएं) की द्वितीय प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 3 जोड़ी जाए, अर्थात्:—"3. आयोडाईजड नमक"।

5. **अनसूची-2 में संशोधन.**—उक्त आदेश की अनसूची-2 की वर्तमान प्रविष्टि-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि-4 प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात:—

"उन के लिए जो चीनी या खाण्डसारी या आयोडाईज़ड नमक का व्यापार करते हैं:—

(क) यदि वार्षिक विक्रय 250 क्विंटल से अधिक हो	. .	500 रुपये
(ख) यदि वार्षिक विक्रय 250 क्विंटल से अधिक न हो	. .	200 रुपये"

Simla-2, the 23rd October, 1982

No. FDS. A(3)-15/80.—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) published under G.S.R. No. 800, dated the 9th June, 1978, the Governor, Himachal Pradesh hereby makes the following order further to amend the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 23-5-1981, namely:—

1. *Short Title and commencement.*—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) (First Amendment) Order, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendments of clause* 2.—In clause 2 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 (hereinafter called the "said Order");

(*i*) the word "and" appearing after paragraphs (N) shall be omitted and the word "and" shall be inserted after the sign ";" occurring at the end of paragraph (O); and

(*ii*) after the paragraph(O) so amended the following paragraph (P) shall be inserted, namely:—

"(p) 'Iodised Salt' means salt used for human consumption mixed with such percentage of iodine as approved by the Salt Commissioner, Government of India, from time to time."

3. *Amendment of Clause* 11.—In sub-clause (1) of clause-11 of the said Order in between the words 'suspended' and 'by' the words "with regard to one or more trade articles" shall be inserted.

4. *Amendment of Schedule* 1.—After entry 2 of part 'E' (Other articles) of Schedule 1 of the said order the following entry 3 shall be added, namely:—

"Iodised Salt."

5. *Amendment of Schedule II.*—For the existing entry 4 of the schedule II of the said order the following entry 4 shall be substituted namely:—

"4. *for those who deal in Sugar/Khandsari/Iodised salt.*—

(*a*) if the annual sale exceeds 250 quintal .. Rs. 500.

(*b*) if the annual sale does not exceed 250 quintal .. Rs. 200."

By order,
ATTAR SINGH,
Commissioner-cum-*Secretary.*

HOME DEPARTMENT

B—SECTION

NOTIFICATION

Simla-2, *the* 26*th October*, 1982

No. Home-B(A)-3-4/81.—The Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. I/11025/26/81-IS-US(D.II), dated the 14th September, 1982, is hereby republished in the Gazette of Himachal Pradesh (Extra ordinary) for the information of the general public.

A copy of letter No. I/11025/26/81-IS. US (D. II), dated the 30th September, 1982, from the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, addressed to the Chief Secretaries of All State Governments (Excepting Governments of Bihar, J & K, West Bengal, Tripura, and Nagaland).

Subject:—Entrustment to State Governments of functions of Central Government in respect of powers to issue Order, under Essential Services Maintenance Act, 1981.

I am directed to forward herewith a copy of the Notification No. I/11025/26/81-IS. US (D. II), dated 14th September, 1982, on the subject noted above for information & necessary action.

COPY AS ABOVE.

S. O. 664 (E). In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution the President hereby entrusts to the Governments of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Orrisa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamilnadu and Uttar Pradesh with the consent of the Government of each of these States, the functions of the Central Government in making orders of the nature specified in section 3, 8 & 9 of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981), in so far as they relate to (*a*) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of power, and (*b*) any service in connection with elections to the Legislatures of the States, specified in sub-clause (*xii*) and (*xv*) of clause (*a*) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, subject to the condition that notwithstanding such entrustment the said functions may also be exercised by the Central Government.

Sd/-
Joint Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 5 नवम्बर, 1982

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-34/78.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर की सूचना के अनुसार श्री प्रेम सिंह, श्रीमती किरपी देवी व श्रीमती लक्ष्मी देवी, पंच, ग्राम पंचायत छत तहसील घुमारवीं, ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों मे दिनांक 7-4-82 से 7-7-82 तक लगातार बिना कारण बताये अनुपस्थित रहें हैं,

और क्योंकि उक्त पंचों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) के अन्तर्गत उक्त आरोपों पर उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्री प्रेम सिंह, सर्वश्रीमती किरपी देवी व लक्ष्मी देवी को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छत के पंच पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ती के एक मास के भीतर-2 जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से अनिवार्य तौर से इस विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ रहे हैं।

शिमला-2, 1982

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-44/81.—क्योंकि विकास खण्ड अधिकारी चौंतड़ा द्वारा प्रारम्भिक जांच करने पर श्री चूहड़ सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कथौण 19-4-81 को मु0 3,000 रु0 4-7-81 को 32.60 रु0 10-12-81 को 2,000 रु0 तथा 10-12-82 को 1,375 रु0 को सहकारी सभा की पास बुक में इमानत वापिस दिखाने व रोकड़ में दर्ज न करने मु0 3,923 रु0 अग्रिम धन के रूप में अपने नाम बिना प्रयोजन के दिखाने तथा इसके अतिरिक्त पंचायत घर की 4 कातें 10 फुट लम्बी, 48 गज 288 फुट बिना पंचायत की अनुमति के अपने निजी प्रयोग में लाने के दोषी लगते हैं,

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच करवाई जानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंजायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करन के सहर्ष आदेश देते हैं। जांच अधिकारी इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट इस विभाग को जिलाधीश, मण्डी की टिप्पणियों सहित एक मास के भीतर-2 प्रस्तुत करेंगे।

हस्ता/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।